फा.सं.. एफ.1 /10(5)/2024-भ-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	अंडमान महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान) के पद हेतु 01 (एक) अ.पि.व. रिक्ति
विज्ञापन संख्या	07/2024
रिक्ति संख्या	24040723313

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	(क) <u>शैक्षिक</u>: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित/ संगत/ संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री (**मनोविज्ञान**)। (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी-मनोविज्ञान) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा)/ एस.ई.टी (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर होने वाले उनके संशोधनों के अनुसार **मनोविज्ञान में** पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो, के अधीन एन.ई.टी./एल.एल.ई.टी./एस.ई.टी. से छूट दी जा सकती है। परन्तुक, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनयमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे बशर्ते ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन छूट दी जाएगी :- (क) उम्मीदवार की पीएच.डी. उपाधि नियमित रूप में प्रदान की

	गई हो; (ख) पीएच.डी. शोध लेख का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो; (ग) उम्मीदवार की मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है; (घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. शोध-लेख से दो शोध पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में होना चाहिए; (ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद/ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी समकक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित/ समर्थित किसी सम्मेलन/ संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. शोध-कार्य के आधार पर कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों। उपयुक्त शर्तों (क) से (ङ) की पूर्ति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/ डीन (शैक्षणिक/अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए **या** (ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से **मनोविज्ञान** में पीएच.डी. डिग्री।

अपनाए गए मापदंड	i) संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदनों में ऑन-लाइन भरी गई जानकारी के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट और आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। ii) मास्टर डिग्री (मनोविज्ञान) में प्रथम डिवीजन वाले उम्मीदवारों पर विचार किया गया है क्योंकि प्रथम डिवीजन, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर दी जाती है। iii) मनोविज्ञान से अलग विषय में मास्टर डिग्री जैसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान आदि पर विचार नहीं किया गया है। iv) जिन उम्मीदवारों ने मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री तथा एनईटी पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र या पीएच.डी डिग्री धारित करने संबंधी दावा नहीं किया है उन्हें **एलईक्यू-क** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। v) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

	नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

3. संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 01/07/2024 को अपलोड किए गए थे, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 11.07.2024 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

4. 11/07/2024 तक 12 उम्मीदवारों से ई-मेलअभ्यावेदन/सीएफडी प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की गई है। विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले सभी आवेदनों की पुनर्जांच की गई है। ई-मेलों तथा अभ्यावेदनों का पुनःपरीक्षण ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षिक योग्यताओं तथा ओरआरए के साथ प्राप्त समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। तद्नुसार अनुवर्ती टिप्पणियां तथा प्रस्ताव निम्नानुसार तालिकाबद्ध हैं:

क्रम.सं.	अनुक्रमांक	मांगे गए दस्तावेज	अभ्युक्तियां
1.	03	यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। **अतः, उसका आवेदन एलईक्यू-क श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
2.	04	मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। **अतः उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
3.	05	मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। **अतः उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
4.	06	मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी है परंतु उसने केन्द्र सरकार के यथानिर्धारित प्रारूप में नवीनतम समुदाय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अतः, उसका आवेदन 'अपूर्ण-मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए' के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
5.	07	यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। **अतः, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
6.	10	10वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में पिता का नाम मेल नहीं	उम्मीदवार ने अपने पिता का सही नाम टी.एस. बिनोद कुमार प्रमाणित करते हुए शपथपत्र की एक प्रति प्रस्तुत कर दी है। **अतः उसे लघुसूचीबद्ध**

		खाने के कारण संबंधी प्रमाण-पत्र।	**किया जा सकता है।**
7.	12	यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी है। **अतः उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
8.	14	यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। **अतः, उसका आवेदन एलईक्यू-क श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
9.	21	नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र, सीजीपीए 8.39 55% से अधिक है संबंधी प्रमाण तथा मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र में उम्मीदवार का नाम मेल नहीं खाने संबंधी शपथ-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगा गया नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र तथा मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र में अपने सही नाम के समर्थन में उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अतः उसका आवेदन एलईक्यू-क के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
10	22	नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र	उम्मीदवार ने मांगे गए जाति प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी है। **अतः, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
11.	23	यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी है। **अतः, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
12.	24	जाति प्रमाण-पत्र में माता का नाम मेल नहीं खाने संबंधी शपथ-पत्र।	उम्मीदवार ने मांगे गए जाति प्रमाण-पत्र में माता का नाम मेल नहीं खाने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अतः उसका आवेदन 'अपूर्ण- मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए' के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**
13.	25	10वी. कक्षा के प्रमाण-पत्र तथा मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र में माता का नाम मेल नहीं खाने संबंधी शपथ-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र में उम्मीदवार का नाम मेल नहीं खाने	उम्मीदवार ने मांगे गए 10वी. कक्षा के प्रमाण-पत्र तथा मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र में अपनी माता के सही नाम के समर्थन में शपथ-पत्र तथा यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र में अपने सही नाम के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। **अतः, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**

		संबंधी शपथ-पत्र।	
अभ्यावेदन			
14.	01	एलईक्यू-क	इस पद हेतु चयन के लिए अपनाए गए पूर्व-निर्णित मापदण्डों के अनुसार, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान आदि में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया है। तथापि इस उम्मीदवार ने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री में पात्रता का दावा किया है। **अतः उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।**
15	28	एलईक्यू-क	इस पद हेतु चयन के लिए अपनाए गए पूर्व-निर्णित मापदण्डों के अनुसार, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान आदि में मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया है। तथापि इस उम्मीदवार ने नैदानिक मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री में पात्रता का दावा किया है। **अतः उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।**

इस प्रकार, ई-मेल/अभ्यावेदनों की जांच के पश्चात, पांच उम्मीदवार (अनुक्रमांक-03, 06, 14, 21 एवं 24) जिन्हें पहले अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने मांगे गए दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अन्य उम्मीदवारों की अनंतिमता समाप्त कर दी गई है। तथापि, दो उम्मीदवारों (अनुक्रमांक-01 एवं 28) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य को संतोषप्रद नहीं पाया गया है और आयोग के प्रारम्भिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित कर लघुसूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार, उनकी अस्वीकृति बरकरार रखी गई है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:

01 (एक) अ.पि.व. की रिक्ति हेतु संवीक्षा

मानदण्ड: अ.यो.-क (i) + (ii)

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए:

अनुक्रमांक:

04	05	07	09	10
12	20	22	23	25

27

(11 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू-क:

अनुक्रमांक:

01	02	03	08	11
13	14	15	16	17
18	19	21	26	28
29				

(16 उम्मीदवार)

अपूर्ण:

अनुक्रमांक	कारण
06, 24	मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए

(02 उम्मीदवार)

इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाइट पथ:मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

संकेतक:

एलईक्यू-क (अनिवार्य योग्यता - क में कमी)

परामर्शदाता/उप सचिव भ.-III

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।